"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 224] रायपुर, बुधवार, दिनांक 8 अप्रैल 2015— चैत्र 18, शक 1937

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13–73/2011/20–3.— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 2 के उप–नियम (1) के खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(घ–1) "**प्रवेश बिन्दु**" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 2 के खंड (ढ) के उप–खण्ड (चार) में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय की कक्षा, जिसे चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, किन्तु जिसमें कक्षा 1 के बाद की कक्षायें सम्मिलित नहीं हो और जिसमें विद्यालय, प्रवेश दे सकती हो।"

2. नियम 3 के उप–नियम (1) में, शब्द, विराम चिन्ह एवं कोष्टक "गैर सहायता प्राप्त विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय में नियत तारीख के छह मास के भीतर एक विद्यालय प्रबंध समिति (जो इस नियम में इसके पश्चात् उक्त समिति के रूप में निर्दिष्ट है) का गठन किया जायेगा और प्रत्येक वर्ष में उसका पुनर्गठन किया जायेगा" के स्थान पर, शब्द, विराम चिन्ह एवं कोष्टक "गैर सहायता प्राप्त एवं अधिनियम की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (दो) एवं (चार) में परिभाषित विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय के लिये नियत तारीख से छः मास की कालावधि के भीतर प्रत्येक विद्यालय में, एक विद्यालय प्रबंध समिति (जो इसमें इसके पश्चात् समिति के रूप में निर्दिष्ट है), का गठन किया जायेगा और प्रत्येक ढाई वर्ष में उसका पुनर्गठन किया जायेगा।" प्रतिस्थापित किया जाये।

3. नियम 7 के उप–नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"(5) (क) अधिनियम की धारा 2 के खंड (ढ) के उप–खण्ड (दो) एवं (चार) में विनिर्दिष्ट विद्यालय, प्रत्येक प्रवेश बिन्दु में, आसपास के कमजोर वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित बालकों को, उस कक्षा की संख्या के न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत तक प्रवेश देगा और निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, उसके पूरा होने तक, प्रदान करेगा:

परंतु यह कि उपरोक्त आरक्षण की गणना, प्रत्येक प्रवेश बिन्दु में संस्थान द्वारा प्रस्तावित सीटों की कुल संख्या के आधार पर किया जायेगा और जहां कोई विद्यालय, पूर्व–विद्यालयीन शिक्षा प्रदान करती है, तो इस खण्ड के प्रावधान, ऐसे पूर्व–विद्यालयीन शिक्षा के लिए प्रवेश हेतु भी लागू होंगे:

परन्तु यह और कि विद्यालयों में, स्थानीय क्षेत्रों के बालकों को प्रवेश दिया जायेगा। शासकीय सहायता प्राप्त एवं गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों के सभी उपलब्ध सीटों को, एक पूल में, एक साथ जोड़ा जायेगा। चयन की प्रक्रिया, सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार निष्पक्ष एवं पारदर्शी रीति में होगी।

(ख) यदि बच्चे का चयन, आरक्षित सीटों के विरूद्ध किया जाता है और वह, चाहे जो भी कारण हो, इंकार करता है या प्रवेश नहीं लेता है, तो उसका, उक्त प्रवर्ग में चयन हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

(ग) अधिनियम की धारा 2 के खंड (ढ) के उप–खण्ड (दो) एवं (चार) में यथा विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय, स्वयं सीधे प्रवेश नहीं दे सकेगी:

परन्तु यह और कि प्रवेश की अंतिम तिथि अर्थात् 15 जून के पश्चात्, यदि अशासकीय (निजी) विद्यालयों में आरक्षित सीटों के विरूद्ध सीटें रिक्त हों, तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) के अंतर्गत समुचित प्राधिकारी द्वारा घोषित अनुसार सात दिवस के बाद, वह अनारक्षित मान ली जायेगी।

(घ) कोई भी विद्यालय, प्रवेश बिन्दु पर उपलब्ध सीट एवं उच्च कक्षा जिसमें खुला प्रवेश दिया गया हो, की जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहती हो, तो वह दण्डित किये जाने हेतु दायी होगी।

(ड.) प्रवेश बिन्दु पर दर्ज संख्या के आधार पर आरक्षित सीटों पर बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश कराने के पश्चात्, यह पाया जाता है कि विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये सीटो की तुलना में कक्षा की दर्ज संख्या कम पायी जाती है तो उन परिस्थितियों में, विद्यालय को केवल वास्तविक नामांकन (दर्ज संख्या) के आधार पर छात्रों के शुल्क की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी और उसका दायित्व होगा कि आरक्षित प्रतिशत से अधिक प्रवेशित बच्चों को, उनके प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराये।

(च) प्रवेश संबंधी मामलों के लिये जिला शिक्षा अधिकारी, नोडल अधिकारी होंगे एवं संपूर्ण प्रकिया, प्रतिवर्ष 1 जून से 15 जून तक पूर्ण कर ली जायेगी।"

4. नियम 10 के उप–नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"(6) एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों/शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या, पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा के लिए 200 कार्य दिवस एवं 800 शिक्षण घंटे तथा छठवीं कक्षा से आठवीं कक्षा के लिए 220 कार्य दिवस और 1000 शिक्षण घंटे होंगी।

(7) किसी विद्यालय द्वारा न्यूनतम कार्य दिवसों/शिक्षण घंटों का उल्लंघन किये जाने पर, दण्डित किये जाने हेतु दायी होगा।"

5. नियम 12 के उप–नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"(3) (क) राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार एक राज्य स्तरीय समिति होगी, जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रति बच्चे प्रतिपूर्ति व्यय की मात्रा का आंकलन करेगी।

(ख) ऐसी राशि का निर्धारण, प्रति तीन वर्ष के अंतराल पर किया जायेगा।''

6. नियम 30 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''31. **कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति.**– यदि इस नियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसी कठिनाईयों के निराकरण के लिए आवश्यकतानुसार ऐसे प्रावधान बना सकेगी, जो इस नियम के प्रावधानों से असंगत न हो।''

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप भटनागर, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 8th April 2015

NOTIFICATION

No. F 13-73/2011/20-3.— In exercise of the powers conferred by Section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (No. 35 of 2009), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2010, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. After clause (d) of sub-rule (1) of rule 2, the following shall be inserted, namely:-

"(d-1) **"Entry Point"** means a class of school as specified in sub-clause (iv) of clause (n) of Section 2 of the Act, by whatever name called but which does not include classes after Class-I, and in which a school may give admission."

2. In sub-rule (1) of rule 3, for the words, punctuation and parenthesis "A School Management Committee (hereinafter in this rule referred to as the said committee) shall be constituted in every school, other than an unaided school, within six months of the appointed date, and reconstituted every year", the words, punctuation and parenthesis "A School Management Committee (hereinafter referred to as committee) shall be constituted in every school within a period of six months from the date appointed for every school, other than an unaided school and school defined in sub-clause (ii) and (iv) of clause (n) of Section 2 of the Act, and shall be reconstituted in every two and half year" shall be substituted.

3. After sub-rule (4) of rule 7, the following shall be added, namely:-

"(5) (a) School specified in sub-clause (ii) and (iv) of clause (n) of Section 2 of the Act shall give admission to children belonging to weaker section and disadvantaged group in the neighborhood at each entry point to a minimum

of twenty-five per cent of the total strength of that class and shall provide free and compulsory primary education, till its completion:

Provided that the calculation of the above reservation shall be made on the basis of total number of seats offered by the institution at each entry point and where any school imparts pre-school education then the provisions of this clause shall also apply for admission to such pre-school education:

Provided further that a child belonging to local area shall be admitted to the schools. All available seats of Government aided and unaided schools shall be combined together in a pool. The process of selection shall be made in a fair and transparent manner, as specified by the Government.

(b) If selection of a child is made against a reserved seat and he refuses or does not get admission for whatever reasons it may be, then he shall not be considered for selection in the said category.

(c) Any school as specified in sub-clause (ii) and (iv) of clause (n) of Section 2 of the Act cannot give admission directly on its own:

Provided further that if seats are vacant against the reserved seat in private school, after the last date for admission i.e. 15th June, then it shall be deemed to be de-reserved after seven days as declared under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (No. 35 of 2009) by the Appropriate Authority.

(d) Any school failing to furnish information regarding seats available at entry point and at higher classes, in which open admission is granted, shall be liable to be punished.

(e) After the admission of children in schools on reserved seats on the basis of figure recorded at entry point, it is found that strength of the class is less than the seats provided by the school, in that case school shall be entitled for reimbursement of the students fees on the basis of the actual enrollment and it shall be the responsibility of school to provide free and compulsory education to the children admitted the above reserved percentage till the completion of their primary education.

(f) For the matter related to admission, the District Education Officer shall be the nodal officer and the entire process shall be completed from 1st June to the 15th June of every year."

4. After sub-rule (5) of rule 10, the following shall be added, namely:-

"(6) Minimum number of working days/teaching hours in an academic year shall be 200 days and 800 teaching hours for class one to class fifth and 220 days and 1000 teaching hours for class sixth to class eighth.

(7) Any violation of minimum working days and teaching hours by school shall be liable to be punished."

5. After sub-rule (2) of rule 12, the following shall be added, namely:-

"(3) (a) There shall be a State level committee, as specified by the State Government which shall determine the extent of reimbursement of expenditure of every child under the said Act.

(b) Such assessment shall be done at the interval of every three years."

6. After rule 30, the following shall be added, namely:-

"**31. Power to remove difficulties**.- If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this rule, the State Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this rule, as may appear to be necessary for removing such difficulty."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP BHATNAGAR, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.